



INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

UPSC – CSE

(संघ लोक सेवा आयोग)

(हिंदी माध्यम)

प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा हेतु



भाग - 13

आपदा प्रबंधन एवं आंतरिक सुरक्षा

प्रस्तावना

प्रिय पाठकों, प्रस्तुत नोट्स “UPSC-CSE (IAS/IPS/IFS) (हिंदी माध्यम)” को एक विभिन्न अपने अपने विषयों में निपुण अध्यापकों एवं सहकर्मियों की टीम के द्वारा तैयार किया गया है / ये नोट्स पाठकों को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित करायी जाने वाली परीक्षा “सिविल सेवा परीक्षा (प्रारंभिक एवं मुख्य)” में पूर्ण संभव मदद करेंगे /

अंततः सतर्क प्रयासों के बावजूद नोट्स में कुछ कमियों तथा त्रुटियों के रहने की संभावना हो सकती है / अतः आप सूचि पाठकों का सुझाव सादर आमंत्रित हैं

प्रकाशक:

INFUSION NOTES

जयपुर, 302029 (RAJASTHAN)

मो : 9887809083

ईमेल : contact@infusionnotes.com

वेबसाइट : <http://www.infusionnotes.com>

WhatsApp कीलिए - <https://wa.link/6bx90g>

Online Order कीलिए - <https://shorturl.at/5gSVX>

मूल्य : ₹

संस्करण : नवीनतम

क्र. सं.	अध्याय	पृष्ठ संख्या
1.	भारत में आपदा प्रबंधन	1
2.	भीड़ आपदा प्रबंधन • भीड़-संबंधी आपदाओं के कारण • भीड़ प्रबंधन के लिए एनडीएमए दिशा-निर्देश • कानूनी प्रावधान	5
3.	भारत में चक्रवात आपदा प्रबंधन • चक्रवातों के बारे में संक्षिप्त जानकारी • भारत में चक्रवात - भोला, ओडिशा, फानी, अम्फान, निसर्ग, निवार, बुरेवी, चक्रवात • चक्रवात आपदा प्रबंधन • न्यूनीकरण उपाय • भारत की चक्रवात आपदा प्रबंधन पहल	7
4.	चक्रवात (Cyclone) • चक्रवातों के प्रकार • चक्रवात कैसे बनता है • चक्रवातों का नामकरण कैसे होता है • उष्णकटिबंधीय चक्रवात • चक्रवात की आँख • शीतोष्ण चक्रवात (बाह्योष्णकटिबंधीय चक्रवात)	10
5.	अम्फान चक्रवात	16
6.	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	18
7.	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (NDMP)	19
8.	भारत में रासायनिक आपदा जोखिम	21
9.	नई बायो-मेडिकल वेस्ट प्रबंधन नियम 2016	22
10.	आपदा जोखिम सूचकांक (Disaster Risk Index)	24
11.	पर्यावरणीय खतरे और उपचारात्मक उपाय • खतरे • भूकंप और उसका प्रबंधन • बाढ़ और उसका प्रबंधन • भूस्खलन	25
12.	भारत की संवेदनशीलता प्रोफाइल	27
13.	आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005	29

14.	आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति (NPDM) 2009 - एनपीडीएम 2009: दृष्टिकोण - एनडीआरएफ (राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल)	30
15.	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना 2016	31
16.	खबरों में क्यों - आपदाओं का वर्गीकरण - आपदा के प्रभाव - भारत में सबसे भयानक आपदाएँ - आपदा प्रबंधन के चरण - आपदा जोखिम न्यूनीकरण (Disaster Risk Reduction - DRR)	32
17.	मानव निर्मित आपदा परमाणु और रेडियोलॉजिकल आपदा	35
18.	रासायनिक आपदा	36
19.	सैंड्राई फ्रेमवर्क - आपदा जोखिम घटाव - आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सैंड्राई फ्रेमवर्क (SFDRR) - ह्योगो फ्रेमवर्क - सैंड्राई फ्रेमवर्क	38
20.	भारत और भारत के लिए जैव आतंकवाद का खतरा	39
21.	जैविक युद्ध	40
22.	विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)	42
23.	आपदा प्रबंधन के लिए पारंपरिक ज्ञान - आपदा की उच्च लागत - भूकंप, सुनामी, बाढ़, भूस्खलन, हिमस्खलन, औद्योगिक आपदाएँ - भोपाल गैस त्रासदी - जलवायु परिवर्तन - सूखा - भारत का संविधान : आपदा प्रबंधन - घटनाओं की समयरेखा : भारत में आपदा प्रबंधन	44
24.	आपदा जोखिम बीमा (Disaster Risk Insurance)	50
25.	समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन (CBDM)	53
26.	राष्ट्रीय पशु आपदा प्रबंधन योजना	54
27.	महामारी रोग अधिनियम 1897 : आईपीसी की धारा 188 के तहत शक्तियाँ	55
28.	कोरोनावायरस (COVID-19) : प्रकोप, प्रभाव और रोकथाम	57

29.	ऑयल स्पिल आपदाएँ	62
30.	ज्वालामुखी	65
31.	वनाग्नि	68
32.	भूस्खलन और अचानक बाढ़	69
33.	भारत में बाढ़	71
34.	पीएम केयर्स फंड - उद्देश्य, गठन और मुद्दे	73
35.	आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन सोसाइटी (CDRIS)	75
36.	आपदा प्रबंधन में मीडिया की भूमिका	80
37.	आपदा प्रबंधन में सोशल मीडिया की भूमिका	84

आंतरिक सुरक्षा

क्र. सं.	अध्याय	पृष्ठ संख्या
1.	भारत की आंतरिक सुरक्षा का परिचय	85
2.	आतंकवाद	92
3.	वामपंथी उग्रवाद	94
4.	गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) संशोधन अधिनियम	98
5.	भारत की केंद्रीय खुफिया और जांच एजेंसियां • राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी केंद्र (NCTC) • खुफिया ब्यूरो (IB) • अनुसंधान और विश्लेषण विंग (RAW) • राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड (NATGRID) • राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) • नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) • राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) • पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (BPR&D) • राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) • केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI)	100
6.	संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच संबंध	107
7.	मानव तस्करी	110
8.	विकास और उग्रवाद के प्रसार के बीच संबंध	113
9.	उत्तर-पूर्व में विद्रोह	116
10.	सीमा क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियाँ और उनका प्रबंधन	126
11.	साइबर सुरक्षा	135

12.	सोशल मीडिया और आंतरिक सुरक्षा खतरा	141
13.	मनी लॉन्ड्रिंग (धन शोधन)	146
14.	भारत में काला धन • परिचय • काले धन का सृजन • काले धन के स्रोत • अर्थव्यवस्था पर काले धन का प्रभाव • विमुद्रीकरण • आगे की राह : काला धन	153
15.	भारत में पुलिस सुधार	157
16.	मलीमठ समिति	160
17.	ARC रिपोर्ट - दूसरी ARC रिपोर्ट प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC)	162
18.	विभिन्न सुरक्षा बल और उनके जनादेश	163
19.	गोरखालैंड मुद्दा	169
20.	AFSPA (सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम)	172
21.	भारत की खुफिया और जांच एजेंसियां	174
22.	भारत का परमाणु हथियार कार्यक्रम • भारत के परमाणु हथियार कार्यक्रम का इतिहास • भारत की "पहले प्रयोग न करने" (No-First-Use) नीति और विश्वसनीय न्यूनतम निरोधकता (CMD) का सिद्धांत • भारत में प्रमुख परमाणु अधिकारी • भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (NSC) • परमाणु त्रिकोण	174

अध्याय - 1

भारत में आपदा प्रबंधन

आपदाओं से होने वाले जान-माल के नुकसान में दुनिया भर में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसका कारण आपदाओं से निपटने के लिए अपर्याप्त तकनीक, जनसंख्या में वृद्धि, जलवायु परिवर्तन और निरंतर पारिस्थितिक क्षरण है। आपदाओं के प्रबंधन के वैश्विक प्रयास प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति और परिमाण के अनुरूप अपर्याप्त साबित हुए हैं।

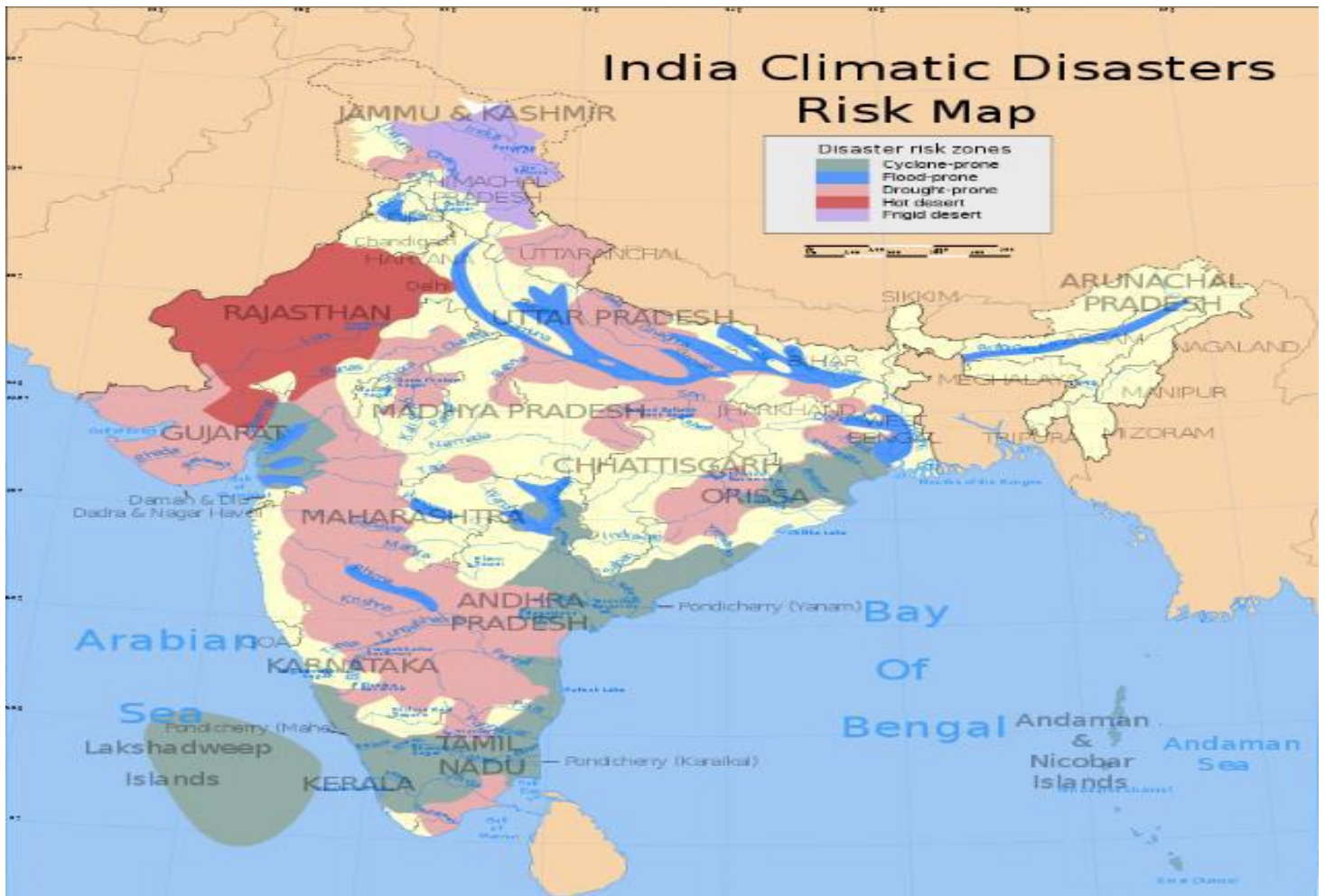
आपदा क्या है ?

आपदा को एक बड़े पैमाने पर व्यवधान के रूप में परिभाषित किया जाता है, चाहे प्राकृतिक हो या मानव निर्मित, जो कम

या लंबी अवधि में होता है। आपदाएं मानवीय, भौतिक, आर्थिक या पर्यावरणीय कठिनाइयों का कारण बन सकती हैं, जो प्रभावित समाज की सहन करने की क्षमता से परे हो सकती हैं।

आंकड़ों के अनुसार, भारत समग्र रूप से 30 विभिन्न प्रकार की आपदाओं से ग्रस्त है जो आर्थिक, सामाजिक और मानव विकास क्षमता को इस हद तक प्रभावित करेगी कि इसका उत्पादकता और व्यापक आर्थिक प्रदर्शन पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा।

भारत में विभिन्न आपदा-प्रवण क्षेत्रों का अनुमान नीचे दिए गए मानचित्र से लगाया जा सकता है: (यहां मानचित्र का उल्लेख है, जिसे आप जोड़ सकते हैं)



आपदाओं को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

- **जल और जलवायु आपदा:** बाढ़, ओलावृष्टि, बादल फटना, चक्रवात, लू लहरें, शीत लहरें, सूखा, तूफान।
- **भूगर्भीय आपदा:** भूस्खलन, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, बवंडर।
- **जैविक आपदा:** वायरल महामारी, कीट हमले, मवेशी महामारी, और टिड्डी प्लेग।

- **औद्योगिक आपदा:** रासायनिक और औद्योगिक दुर्घटनाएँ, खदान में आग, तेल रिसाव।
- **परमाणु आपदा:** परमाणु कोर पिघलना, विकिरण विषाक्तता।
- **मानव निर्मित आपदा:** शहरी और जंगल की आग, तेल रिसाव, विशाल भवन संरचनाओं का ढहना।

आपदा प्रबंधन क्या है ?

2005 के आपदा प्रबंधन अधिनियम में आपदा प्रबंधन को नियोजन, आयोजन, समन्वय और उपायों को लागू करने

की एक एकीकृत प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है जो निम्नलिखित के लिए आवश्यक हैं-

- किसी भी आपदा के खतरे की रोकथाम
- किसी भी आपदा या उसके परिणामों के जोखिम को कम करना
- किसी भी आपदा से निपटने के लिए तत्परता
- किसी आपदा से निपटने में तत्परता
- किसी भी आपदा के प्रभावों की गंभीरता का आकलन करना
- बचाव और राहत
- पुनर्वास और पुनर्निर्माण

आपदा प्रबंधन में शामिल एजेंसियां

- **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA):-**
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, या NDMA, आपदा प्रबंधन के लिए एक सर्वोच्च निकाय है, जिसका नेतृत्व भारत के प्रधान मंत्री करते हैं। यह राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) के पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है।
- **राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (NEC):-**
NEC में भारत सरकार के उच्च-प्रोफाइल मंत्रीय सदस्य शामिल होते हैं जिनमें केंद्रीय गृह सचिव अध्यक्ष के रूप में और भारत सरकार (GoI) के सचिव जैसे कृषि, परमाणु ऊर्जा, रक्षा, पेयजल आपूर्ति, पर्यावरण और वन आदि मंत्रालयों/विभागों के सचिव शामिल होते हैं। NEC आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति के अनुसार आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय योजना तैयार करता है।
- **राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA):-**
संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री SDMA के प्रमुख होते हैं। राज्य सरकार के पास एक राज्य कार्यकारी समिति (SEC) होती है जो आपदा प्रबंधन पर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) की सहायता करती है।
- **जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA):-**
DDMA का नेतृत्व जिला कलेक्टर, उपायुक्त या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थिति के आधार पर किया जाता है, जिसमें स्थानीय प्राधिकरण के निर्वाचित प्रतिनिधि सह-अध्यक्ष के रूप में होते हैं। DDMA यह सुनिश्चित करता है कि NDMA और SDMA द्वारा तैयार किए गए दिशानिर्देशों का जिला स्तर पर राज्य सरकार के सभी विभागों और जिले में स्थानीय अधिकारियों द्वारा पालन किया जाए।
- **स्थानीय प्राधिकरण :-**
स्थानीय प्राधिकरणों में पंचायती राज संस्थान (PRI), नगरपालिकाएँ, जिला और छावनी बोर्ड और टाउन प्लानिंग प्राधिकरण शामिल होंगे जो नागरिक सेवाओं को नियंत्रित और प्रबंधित करते हैं।

जैविक आपदाएँ:

परिभाषा: किसी विशेष प्रकार के जीवित जीव के अत्यधिक फैलाव के कारण होने वाले विनाशकारी प्रभाव जो रोग, वायरस या पौधों, जानवरों या कीटों के जीवन के महामारी या वैश्विक महामारी स्तर पर संक्रमण फैला सकते हैं।

1. **महामारी स्तर** - इंगित करता है कि एक आपदा जो किसी दिए गए क्षेत्र या समुदाय में कई लोगों को प्रभावित करती है।
2. **वैश्विक महामारी स्तर** - इंगित करता है कि एक आपदा जो बहुत बड़े क्षेत्र को प्रभावित करती है, कभी-कभी एक पूरे महाद्वीप या यहां तक कि पूरे ग्रह को। उदाहरण के लिए, हाल ही में H1N1 या स्वाइन फ्लू महामारी।

जैविक आपदाएँ -

1. महामारी से निपटने के लिए नोडल मंत्रालय - स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय।
 - A. निर्णय लेना
 - B. सलाहकार निकाय
 - C. आपातकालीन चिकित्सा राहत प्रदान करना
2. जैविक आपदाओं से निपटने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है। (कारण - स्वास्थ्य एक राज्य विषय है)।
3. प्रकोपों की जांच के लिए नोडल एजेंसी - राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान (NICD)
4. जैविक युद्ध के लिए नोडल मंत्रालय - गृह मंत्रालय (जैविक युद्ध युद्ध के एक अधिनियम के रूप में जैविक एजेंटों का उपयोग है)

जैविक आपदाएँ - वर्गीकरण

चार्ल्स बाल्डविन ने 1966 में बायोहाज़र्ड का प्रतीक विकसित किया।



अमेरिकी रोग नियंत्रण केंद्र बायोहाज़र्ड / जैविक खतरों को चार बायोसेफ्टी स्तरों में वर्गीकृत करता है:

1. **BSL-1:** बैक्टीरिया और वायरस जिनमें बैसिलस सबटिलिस, कुछ सेल कल्चर, कैनाइन हेपेटाइटिस और गैर-संक्रामक बैक्टीरिया शामिल हैं। सुरक्षा केवल चेहरे की सुरक्षा और दस्ताने हैं।
2. **BSL-2:** बैक्टीरिया और वायरस जो मनुष्यों में केवल हल्का रोग पैदा करते हैं, या प्रयोगशाला में एयरोसोल के माध्यम से अनुबंध करना मुश्किल होता है जैसे हेपेटाइटिस ए, बी, सी, कण्ठमाला, खसरा, एचआईवी, आदि। सुरक्षा -

स्टरलाइजिंग और जैविक सुरक्षा अलमारियाँ के लिए ऑटोक्लेव का उपयोग।

3. **BSL-3:** बैक्टीरिया और वायरस जो मनुष्यों में गंभीर से घातक बीमारी पैदा करते हैं। उदाहरण: वेस्ट नाइल वायरस, एंथ्रेक्स, MERS कोरोनावायरस। सुरक्षा - वायुजनित संक्रमण को रोकने के लिए रेस्पिरैटर के उपयोग जैसे कठोर सुरक्षा प्रोटोकॉल।
4. **BSL-4:** संभावित रूप से घातक (मनुष्यों के लिए) वायरस जैसे इबोला वायरस, मार्बर्ग वायरस, लासा बुखार वायरस, आदि। सुरक्षा - एक अलग हवा की आपूर्ति के साथ, एक सकारात्मक दबाव कार्मिक सूट का उपयोग।

भारत में बायोहाज़र्ड की रोकथाम के लिए कानून:

भारत में बायोहाज़र्ड की रोकथाम और सुरक्षात्मक, उन्मूलन और नियंत्रण उपायों के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित कानून बनाए गए हैं जब कोई प्रकोप होता है:

1. जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974
2. वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981
3. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और नियम (1986)
4. आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, सभी स्तरों पर आपदा रोकथाम, शमन, प्रतिक्रिया, तैयारी और पुनर्प्राप्ति के लिए संस्थागत और परिचालन ढांचा प्रदान करता है।

जैविक खतरों की रोकथाम

बायोहाज़र्ड/ जैविक खतरों को रोकने और नियंत्रित करने का मूल उपाय संदूषण के स्रोत को खत्म करना है। कुछ रोकथाम विधियाँ इस प्रकार हैं:

क्षेत्र में **श्रमिकों (चिकित्सा)** के लिए निवारक उपाय

1. **इंजीनियरिंग नियंत्रण** - इस प्रकार की आपदाओं के प्रसार को रोकने में मदद करने के लिए उचित वेंटिलेशन, नकारात्मक दबाव स्थापित करना और यूवी लैंप का उपयोग करना शामिल है। **व्यक्तिगत स्वच्छता** - तरल साबुन से हाथ धोना, संभावित रूप से दूषित वातावरण के संपर्क में आए कपड़ों की उचित देखभाल करना।

2. **व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण** - मास्क, सुरक्षात्मक कपड़े, दस्ताने, फेस शील्ड, आई शील्ड, शू कवर।

3. **स्टरलाइजेशन**- बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए अल्ट्रा हीट या उच्च दबाव का उपयोग करना या रोगाणुओं को मारने के लिए बायोसाइड का उपयोग करना।

4. **श्वसन सुरक्षा** - सर्जिकल मास्क, रेस्पिरैटर, पावर्ड एयर-प्यूरिफाइंग रेस्पिरैटर (PAPR), एयर-सप्लाई रेस्पिरैटर।

जैविक खतरों की रोकथाम (पर्यावरण प्रबंधन)

- सुरक्षित जल आपूर्ति, सीवेज पाइपलाइनों का उचित रखरखाव - हैजा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, पेचिश आदि जैसी जलजनित बीमारियों को रोकने के लिए।

- व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में जागरूकता और धोने, सफाई, स्नान करने, अधिक भीड़भाड़ से बचने आदि का प्रावधान।

वेक्टर नियंत्रण:

- पर्यावरण इंजीनियरिंग कार्य और जेनेरिक एकीकृत वेक्टर नियंत्रण उपाय।
- जल प्रबंधन, पानी को स्थिर होने और इकट्ठा होने से रोकना और वेक्टर के प्रजनन स्थलों को खत्म करने के अन्य तरीके।
- वेक्टर को नियंत्रित करने के लिए कीटनाशकों का नियमित छिड़काव, बाहरी धुआँ आदि।
- चूहों की आबादी को नियंत्रित करना।

आपदा के बाद महामारी की रोकथाम

- किसी भी जैविक आपदा के बाद महामारी का खतरा बढ़ जाता है।
- **एकीकृत रोग निगरानी प्रणाली (IDSS)** रोगों के फैलने के स्रोतों, तरीकों की निगरानी करती है, और महामारियों की जांच करती है।

प्रकोपों का पता लगाना और उन्हें रोकना

इसमें नीचे दिए गए अनुसार चार चरण शामिल हैं

1. प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा चिकित्सकों द्वारा पहचानना और निदान करना।
2. सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों को निगरानी जानकारी का संचार करना।
3. निगरानी डेटा का महामारी विज्ञान विश्लेषण।
4. सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय और उचित चिकित्सा उपचार प्रदान करना।

जैविक आपदाओं के लिए कानूनी ढांचा

1. महामारी रोग अधिनियम वर्ष 1897 में अधिनियमित किया गया था।
2. यह अधिनियम केंद्र को जैविक आपात स्थितियों में हस्तक्षेप करने की कोई शक्ति प्रदान नहीं करता है।
3. इसे एक ऐसे अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए जो BT हमले जैसी आपात स्थितियों और किसी विरोधी द्वारा जैविक हथियारों के उपयोग, सीमा पार के मुद्दों और रोगों के अंतर्राष्ट्रीय प्रसार सहित प्रचलित और अनुमानित सार्वजनिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं का ध्यान रखे।
4. इसे केंद्र और राज्य सरकारों और स्थानीय अधिकारियों को बिना किसी दंड के कार्य करने, प्रभावित क्षेत्रों को अधिसूचित करने, आवाजाही को प्रतिबंधित करने या प्रभावित क्षेत्र को संगरोध करने, संदिग्ध सामग्रियों के नमूने लेने के लिए किसी भी परिसर में प्रवेश करने और उन्हें सील करने के लिए पर्याप्त शक्तियाँ देनी चाहिए।
5. अधिनियम में जैविक नमूना हस्तांतरण, सामग्री / प्रयोगशालाओं की जैव सुरक्षा और जैव सुरक्षा पर भी नियंत्रण स्थापित करना चाहिए।

संस्थागत ढांचा

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoH&FW) में, सार्वजनिक स्वास्थ्य को सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक अलग अतिरिक्त महानिदेशालय स्वास्थ्य और स्वच्छता (DGHS) के साथ उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कुछ राज्यों में, सार्वजनिक स्वास्थ्य का एक अलग विभाग है। जिन राज्यों में ऐसी व्यवस्था नहीं है, उन्हें भी ऐसा विभाग स्थापित करने के लिए पहल करनी होगी।

परिचालन / संचालनात्मक ढांचा

राष्ट्रीय स्तर पर, जैविक आपदाओं पर कोई नीति नहीं है। MoH&FW की मौजूदा आकस्मिक योजना लगभग 10 वर्ष पुरानी है और इसमें व्यापक संशोधन की आवश्यकता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित सभी घटकों, अर्थात् शीर्ष संस्थान, फील्ड एपिडेमियोलॉजी, निगरानी, शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान आदि को मजबूत करने की आवश्यकता है।

परिचालन स्तर पर, कमान और नियंत्रण (C&C) स्पष्ट रूप से जिला स्तर पर पहचाने जा सकते हैं, जहाँ जिला कलेक्टर को संसाधनों की मांग करने, किसी भी परिसर का निरीक्षण करने, सेना, राज्य या केंद्र से मदद मांगने, संगरोध लागू करने आदि की कुछ शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। हालांकि, घटना कमान प्रणाली की कोई अवधारणा नहीं है जिसमें पूरी कार्रवाई को एक घटना कमांडर के दायरे में लाया जाता है, जिसे रसद, वित्त और तकनीकी टीमों आदि के विषयों से समर्थन मिलता है। प्रत्येक जिले में एक घटना कमान प्रणाली स्थापित करने की तत्काल आवश्यकता है।

जिला और उप-जिला स्तरों पर चिकित्सा और पैरामेडिकल कर्मचारियों की कमी है। सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों, महामारी विज्ञानियों, नैदानिक सूक्ष्म जीव विज्ञानियों और विषाणु विज्ञानियों की भी भारी कमी है।

जैविक आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन के लिए एजेंटों के त्वरित निदान के लिए बायोसेफ्टी प्रयोगशालाओं की आवश्यकता होती है। मानव स्वास्थ्य क्षेत्र में कोई BSL-4 प्रयोगशाला नहीं है। BSL-3 प्रयोगशालाएँ भी सीमित हैं। जैव सुरक्षा, नैदानिक अभिकर्मकों को तैयार करने की स्वदेशी क्षमता और गुणवत्ता आश्वासन के संबंध में प्रमुख मुद्दे बने हुए हैं।

एकीकृत एम्बुलेंस नेटवर्क (IAN) की कमी। कोई एम्बुलेंस प्रणाली नहीं है जिसमें उन्नत जीवन-समर्थन सुविधाएँ हों जो जैविक आपदाओं में काम करने में सक्षम हों।

राज्य द्वारा संचालित अस्पतालों में सीमित चिकित्सा आपूर्ति होती है। सामान्य स्थितियों में भी, एक मरीज को दवाएँ खरीदनी पड़ती हैं। दवाओं, एंथ्रेक्स वैक्सीन जैसे महत्वपूर्ण टीकों, PPE या सर्ज क्षमता के लिए डायग्नोस्टिक्स का भंडार नहीं है। संकट में, थकाऊ खरीद प्रक्रियाओं के कारण और अधिक अक्षमता होती है।

राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF):

NDRF की कमान और पर्यवेक्षण केंद्रीय सरकार द्वारा चयनित नागरिक सुरक्षा और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के महानिदेशक के अधीन होगा। वर्तमान में, NDRF में आठ बटालियन शामिल हैं जिन्हें आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न स्थानों पर तैनात किया जाएगा।

आपदा रोकथाम और शमन:

उचित योजना और शमन उपाय जोखिम प्रवण क्षेत्रों में भूकंप, बाढ़ और चक्रवात जैसे खतरों के सबसे बुरे प्रभावों को कम करने में अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं। ये प्रमुख क्षेत्र हैं जिन पर इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ध्यान दिया जाना चाहिए:

- **जोखिम मूल्यांकन और भेद्यता मानचित्रण:** भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) आधारित डेटाबेस जैसे राष्ट्रीय आपातकालीन प्रबंधन डेटाबेस (NDEM) और राष्ट्रीय स्थानिक डेटा अवसंरचना (NSDI) का उपयोग करके बहु-खतरा संरचना में मानचित्रण और भेद्यता विश्लेषण किया जाएगा।
- **शहरी क्षेत्रों में आपदाओं की बढ़ती प्रवृत्ति:** अनियोजित शहरीकरण को रोकने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए, जिसमें तैयार की गई कार्य योजना को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। दूसरी ओर, संबंधित राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेश शहरी जल निकासी प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिसमें प्राकृतिक जल निकासी प्रणालियों में बाधा न डालने पर विशेष ध्यान दिया जाता है।
- **महत्वपूर्ण अवसंरचना:** सड़कों, बांधों, पुलों, सिंचाई नहरों, बिजली स्टेशनों, रेलवे लाइनों, डेल्टा जल वितरण नेटवर्क, बंदरगाहों और नदी और तटीय तटबंधों जैसे महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं को विश्वव्यापी सुरक्षा बेंचमार्क के संबंध में सुरक्षा मानकों के लिए लगातार जांचा जाना चाहिए और यदि वर्तमान उपाय अपर्याप्त साबित होते हैं तो उन्हें मजबूत किया जाना चाहिए।
- **पर्यावरण की दृष्टि से सतत विकास:** स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरणीय विचारों और विकासवात्मक प्रयासों को एक साथ संभाला जाना चाहिए।
- **जलवायु परिवर्तन अनुकूलन:** चक्रवात, बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि की चुनौतियों से जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और आपदा जोखिम में कमी के लिए रणनीतियों को बढ़ावा देने के साथ निरंतर और प्रभावी ढंग से निपटा जाना चाहिए।



अध्याय - 13

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005

2005 का आपदा प्रबंधन अधिनियम (DMA 2005) भारत सरकार द्वारा 'आपदाओं और इससे जुड़े अन्य मामलों के कुशल प्रबंधन' के लिए पारित एक अधिनियम है। यह COVID-19 के प्रकोप और उसके बाद लगे देशव्यापी लॉकडाउन के साथ सुर्खियों में आया। लॉकडाउन को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत लागू किया गया था।

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की विशेषताएँ

DMA 2005 द्वारा निम्नलिखित शासी निकाय स्थापित किए गए थे

1. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA)

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है और इसमें उपाध्यक्ष सहित कुल नौ सदस्य होंगे। सभी सदस्यों का कार्यकाल पांच वर्ष का होगा।

NDMA की मुख्य जिम्मेदारी आपदा प्रबंधन के लिए नीतियों, योजनाओं और दिशा-निर्देशों को निर्धारित करना है ताकि किसी भी आपदा के समय प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सके।

2. राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (NEC):

DMA केंद्रीय सरकार को एक राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (NEC) बनाने का अधिकार देता है, जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सहायता करेगी। NEC में गृह, स्वास्थ्य, बिजली, वित्त और कृषि मंत्रालयों के सचिव स्तर के अधिकारी होंगे। NEC देश भर के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना की तैयारी के लिए जिम्मेदार है और यह सुनिश्चित करेगा कि इसे "वार्षिक रूप से समीक्षा और अद्यतन किया जाए"।

3. राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण: राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) अपने संबंधित राज्य के लिए आपदा योजना बनाने के लिए जिम्मेदार है। इसमें मुख्यमंत्री शामिल होते हैं जो अध्यक्ष होते हैं और मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त 8 सदस्य होते हैं।

SDMA को धारा 28 के तहत यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है कि राज्य के सभी विभाग राष्ट्रीय और राज्य प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार करें।

4. जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण: जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) के अध्यक्ष जिले के कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट या उपायुक्त होंगे।

5. राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF): राष्ट्रीय आपदा मोचन बल को एक खतरनाक आपदा या उसके समान स्थिति का जवाब देने का काम सौंपा गया है। NDRF का नेतृत्व केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक महानिदेशक करता है।

<https://www.infusionnotes.com/>

NDRF ने अतीत में कई आपदा संबंधी घटनाओं जैसे 2014 की कश्मीर बाढ़ और 2018 की केरल बाढ़ में लोगों को बचाने में एक प्रमुख भूमिका निभाई है।

DMA 2005 द्वारा क्या प्रगति की गई है ?

आपदा प्रबंधन अधिनियम इस सिद्धांत पर आधारित है कि आपदा संबंधी नुकसान का शमन राहत और पुनर्वास पर व्यय की तुलना में अधिक कुशल है। विभिन्न डिग्री की आपदाओं का मुकाबला करने के लिए रणनीतिक साझेदारी और कार्रवाई के पाठ्यक्रम के लिए विमान बनाने के अधिनियम ने निम्नलिखित में महत्वपूर्ण प्रगति की है:

- आपदा प्रबंधन प्रयासों का मार्गदर्शन करने के लिए विस्तृत निर्देश
- सभी क्षेत्रों में क्षमता विकास
- पिछली पहलों और सर्वोत्तम प्रथाओं का समेकन
- राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एजेंसियों के साथ सहयोग।

आपदा प्रबंधन अधिनियम की आलोचना:

भले ही DMA ने भारत में आपदा प्रबंधन के संबंध में महत्वपूर्ण कमियों को भरा है, फिर भी इसकी अपनी आलोचनाएँ हैं। इसकी एक खामी 'आपदा प्रवण क्षेत्र' घोषित करने के प्रावधान का अभाव है। जब ऐसे प्रावधान किए जाते हैं तो राज्य अधिक सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं क्योंकि यह वर्गीकरण होने वाले नुकसान को कम करने में मदद कर सकता है।

अधिनियम का तात्पर्य है कि आपदाएँ अचानक होती हैं, जबकि वास्तव में वे प्रकृति में प्रगतिशील भी हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, महामारियों को पारंपरिक परिभाषा के बावजूद आपदाएँ माना जा सकता है क्योंकि वे अपने रास्ते में हजारों लोगों की जान लेती हैं। डेंगू और तपेदिक की महामारियाँ बहुत तबाही मचाती हैं, फिर भी इससे निपटने के लिए कोई प्रभावी तंत्र मौजूद नहीं है।

नई आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश बन रही हैं और कोई केवल यह उम्मीद कर सकता है कि इसमें वर्तमान अधिकारियों के खामियों को दूर करने के प्रावधान शामिल होंगे और एक बार फिर उस मूल्यवान भूमिका की अनदेखी नहीं की जाएगी जो नागरिक समाज, निजी उद्यम और एनजीओ भारत को सुरक्षित बनाने की दिशा में निभा सकते हैं।

NDMA 2005 के प्रावधान:

- अधिनियम का उद्देश्य शमन रणनीतियों की तैयारी, क्षमता निर्माण और बहुत कुछ सहित आपदाओं का प्रबंधन करना है।
- अधिनियम गृह मंत्रालय को देश में समग्र राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की देखभाल के लिए नोडल मंत्रालय के रूप में भी नामित करता है।
- अधिनियम में **राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष (NDRF)** जैसे आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए धन के निर्माण सहित वित्तीय तंत्र के प्रावधान भी शामिल हैं।

अध्याय - 14

आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति (NPDM) 2009

आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति (NPDM) आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुरूप और उसके अनुसरण में तैयार की गई है। आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति (NPDM) समग्र रूप से आपदाओं से निपटने के लिए ढांचा/मार्गदर्शन प्रदान करेगी।

NPDM 2009: विजन

NPDM का विजन रोकथाम, शमन, तैयारी और प्रतिक्रिया की संस्कृति के माध्यम से एक समग्र, सक्रिय, बहु-आपदा उन्मुख और प्रौद्योगिकी संचालित रणनीति विकसित करके एक सुरक्षित और आपदा-प्रतिरोधी भारत का निर्माण करना है।

राष्ट्रीय नीति किन बातों से संबंधित है ?

यह नीति संस्थागत, कानूनी और वित्तीय व्यवस्थाओं सहित आपदा प्रबंधन के सभी पहलुओं को कवर करती है; आपदा रोकथाम, शमन और तैयारी, तकनीकी-कानूनी व्यवस्था; प्रतिक्रिया, राहत और पुनर्वास; पुनर्निर्माण और पुनर्प्राप्ति; क्षमता विकास; ज्ञान प्रबंधन और अनुसंधान एवं विकास। यह उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करती है जहाँ कार्रवाई की आवश्यकता है और संस्थागत तंत्र जिसके माध्यम से ऐसी कार्रवाई को प्रवाहित किया जा सकता है।

NPDM समाज के सभी वर्गों की चिंताओं को दूर करता है, जिसमें दिव्यांग व्यक्ति, महिलाएं, बच्चे और अन्य वंचित समूह शामिल हैं। राहत अनुदान के संदर्भ में और आपदाओं के कारण प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए उपायों को तैयार करने में, **समानता / समावेशिता** के मुद्दे पर उचित विचार किया गया है।

NPDM समुदाय, समुदाय आधारित संगठनों, पंचायती राज संस्थानों (PIR), स्थानीय निकायों और नागरिक समाज की भागीदारी के माध्यम से आपदा प्रबंधन के सभी पहलुओं में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने का लक्ष्य रखता है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति (NPDM) 2009 का पृष्ठभूमि :-

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005, जिसे संसद द्वारा पारित किया गया था, 26 दिसंबर, 2005 को भारत की राजपत्र में अधिसूचित किया गया। यह अधिनियम आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन के लिए कानूनी और संस्थागत ढांचा प्रदान करता है।

यह अधिनियम केंद्रीय, राज्य और स्थानीय सरकारों के लिए विशिष्ट भूमिकाओं का निर्धारण करता है और नए संस्थानों की स्थापना की अनिवार्यता करता है।

अधिनियम के प्रावधानों के तहत, **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA)** प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में स्थापित

किया गया है और इसके कार्यों के निष्पादन में सहायता के लिए सचिवों की **राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (NEC)** का गठन किया गया है। राज्य स्तर पर, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना राज्य के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में की गई है, जिसे राज्य कार्यकारी समिति द्वारा सहायता प्राप्त है। जिला स्तर पर, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों का गठन किया गया है।

आपदा प्रबंधन के लिए जिम्मेदार कौन है ?

आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार पर है। आपदा प्रबंधन एक बहुविभागीय गतिविधि है, जिसे सभी हितधारकों के बीच समन्वयपूर्ण सहयोग से पूरा किया जाना चाहिए। केंद्रीय, राज्य और जिला स्तर पर स्थापित संस्थागत तंत्र राज्यों को आपदाओं को प्रभावी रूप से प्रबंधित करने में सहायता करता है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति एक सक्षम वातावरण प्रदान करती है। सभी हितधारकों से अपेक्षा की जाती है कि वे NPDM के ढांचे के अनुसार किसी भी आपदा के प्रबंधन में अपनी पूरी कोशिश करें। हर आपदा हमें नए पाठ सिखाती है और सरकार/ समाज उनसे तदनुसार अनुकूलित करना सीखता है। NPDM ने देश में एक समग्र, सक्रिय, बहु-आपदा केंद्रित और प्रौद्योगिकी आधारित दृष्टिकोण को विकसित करने में सफलता प्राप्त की है।

NDRF -

अपने गठन के बाद से, NDRF ने देश और विदेश में आपदाओं में विभिन्न बचाव अभियानों में भाग लिया है और कई कीमती जानें बचाई हैं और पीड़ितों के शवों को निकाला है। NDRF के कर्मियों ने असाधारण प्रतिक्रिया दी और NDRF द्वारा अब तक बचाए गए और निकाले गए पीड़ितों के विवरण इस प्रकार हैं:

- 4.5 लाख से अधिक मानव जीवन को बचाया।
- 2000 से अधिक शवों को निकाला।
- करीब 40,00,000 समुदाय स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया।
- इसके अलावा, NDRF SDRF कर्मियों और अन्य हितधारकों को भी प्रशिक्षण दे रही है।

अध्याय - 36

आपदा प्रबंधन में मीडिया की भूमिका

पिछले कुछ दशकों में प्राकृतिक और मानवजनित आपदाओं से होने वाली क्षति के कारण, समकालीन दुनिया में एक नई जागरूकता विकसित हो रही है। यह व्यापक रूप से समझा जाने लगा है कि प्रभावी संचार और प्रौद्योगिकी-आधारित प्रणालियों का उपयोग करके जीवन और संपत्ति के नुकसान को यथासंभव न्यूनतम स्तर तक कम किया जा सकता है।

सामाजिक वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों का मानना है कि **समर्पित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग** के माध्यम से आपदाओं के विनाशकारी प्रभावों से होने वाली मानवीय पीड़ा को काफी हद तक कम किया जा सकता है। यह सहयोग मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों पर केंद्रित होता है:

- सार्वजनिक सूचना और शिक्षा
- बेहतर चेतावनी प्रणाली
- आपदा की तैयारी (Disaster Preparedness)
- निवारण (Mitigation)

इन उपायों का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक सुरक्षा में सुधार करना और आर्थिक नुकसान को कम करना है। यदि हम गहराई से देखें, तो संचार (**Communication**) इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है।

हाल के वर्षों में आपदा प्रबंधन की रणनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है। अब इसके तहत आपदाओं का इंतजार करने और फिर प्रतिक्रिया देने के बजाय, सक्रिय रूप से पूर्व-योजना और तैयारी करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

यह रक्षात्मक दृष्टिकोण इस मजबूत धारणा के बाद विकसित हुआ है कि यदि आपदा से पहले कोई उपाय नहीं किए गए, तो आपदा के बाद की राहत नाकाफी साबित होती है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि आपदा-पूर्व तैयारी (Preparedness) ही प्रभावी आपदा प्रबंधन की सबसे महत्वपूर्ण चरण है।

हालिया इतिहास में, संचार (Communication) ने आपदा न्यूनीकरण (Disaster Mitigation) में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने न केवल डेटा प्रबंधन और विश्लेषण तकनीकों को उन्नत किया है, बल्कि हमें आपदाओं की उत्पत्ति और उनके व्यवहार को बेहतर ढंग से समझने में भी मदद की है।

हाल के वर्षों में जनसंचार माध्यमों (Mass Media) के विकास ने लोगों को जागरूक करने में सबसे प्रभावी भूमिका निभाई है। आपदाओं की सीधी कवरेज (Live Coverage) और त्वरित रिपोर्टिंग (Prompt Reporting) ने लोगों को जागरूक और सतर्क बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

मीडिया संचार का महत्व और आपदा प्रबंधन में इसकी भूमिका

मीडिया संचार के महत्व को समझते हुए, विभिन्न मानवीय संगठनों (Humanitarian Organizations) ने संचार विभाग (Communication Departments) स्थापित किए हैं, जो आंतरिक और बाहरी संचार को मजबूत करने और मीडिया से संबंध बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं।

आपदा प्रबंधन में नई संचार तकनीकों के अनुसार, अब यह माना जाता है कि मानवीय प्रयासों की सफलता काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि संगठन मीडिया को कितना समझते हैं और उनके साथ उनके संबंध कैसे हैं।

आपदा न्यूनीकरण और उत्तर-आपदा गतिविधियों में मीडिया की भूमिका

कुछ गतिविधियाँ, जैसे जोखिम न्यूनीकरण (Hazard Mitigation) और आपदा के बाद की गतिविधियाँ (Post-Disaster Activities), सीधे जनसंचार माध्यमों (Mass Media) पर निर्भर होती हैं। इन गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य जनता में जोखिम और उसके प्रति प्रतिक्रिया की जागरूकता पैदा करना होता है।

विभिन्न उन्नत संचार साधनों का उपयोग करके पूर्व-चेतावनी (Early Warning), निकासी योजनाएँ (Evacuation Plans) और आपदा के बाद की सहायता प्रदान की जा सकती हैं।

मीडिया का समाज की मानसिकता बदलने में नेतृत्वकारी भूमिका

मीडिया समाज की मानसिकता को बदलने में एक नेतृत्वकारी भूमिका निभा सकता है, जिससे लोग प्रतिक्रियात्मक (Reactive) रवैये के बजाय सक्रिय (Proactive) रवैया अपनाएँ। मीडिया को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके द्वारा प्रसारित संदेश अधिक मूल्यवान और विश्वसनीय (Credible) हो।

सनसनीखेज और अतिरंजित समाचार (Sensational & Hyped News) अराजकता (Chaos) और भय (Fear) उत्पन्न कर सकते हैं, जिससे और अधिक नुकसान हो सकता है।

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और उसकी व्यापक पहुँच

पिछले एक दशक में पाकिस्तान और अन्य पड़ोसी देशों में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनलों में वृद्धि हुई है। यह मीडिया जनमत निर्माण (Opinion Making) में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, क्योंकि इसकी पहुँच देश के हर कोने-कोने तक है।

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक बड़ा योगदान दूरस्थ और आपदा-प्रवण (Disaster-Prone) क्षेत्रों में प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (Early Warning Systems) की स्थापना हो सकता है। विशेष रूप से रेडियो चैनल इस मामले में अहम भूमिका

निभा सकते हैं, क्योंकि इनकी पहुँच दुर्गम क्षेत्रों (Remote Areas) तक होती है।

जागरूक और मजबूत समुदाय के निर्माण में मीडिया का योगदान

मीडिया का योगदान जागरूक और शिक्षित समुदाय (Aware & Educated Community) के विकास में सहायक हो सकता है, जिससे लोग आपदा की तैयारी (Disaster Preparedness) और न्यूनीकरण (Mitigation) के बारे में अधिक सचेत हो सकें।

जापान का उदाहरण इस संदर्भ में उल्लेखनीय है, जहाँ नागरिक लगातार भूकंपों के विनाश के खिलाफ एकजुट होकर खड़े होते हैं। वहाँ मीडिया द्वारा पूरे देश में जागरूकता कार्यक्रम, प्रशिक्षण और अभ्यास लगातार प्रसारित किए जाते हैं।

प्रिंट मीडिया की अनदेखी नहीं की जा सकती

आपदा प्रबंधन को बेहतर बनाने में प्रिंट मीडिया की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। देखा गया है कि लोग लिखित संदेश (Written Message) पर मौखिक जानकारी (Word of Mouth) की तुलना में अधिक भरोसा करते हैं।

अखबारों में दी गई जानकारी को विश्वसनीय सलाह (Reliable Advice) माना जाता है, जिसे लोग गंभीरता से लेते हैं। इसलिए, मीडिया की भूमिका केवल सूचना प्रसारण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपदा प्रबंधन की संपूर्ण प्रणाली को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आपदा पूर्व और पश्चात गतिविधियों में एक महत्वपूर्ण लेकिन उपेक्षित पहलू है - मानवीय संगठनों (Humanitarian Organizations), विकास भागीदारों (Development Partners) और राज्य एजेंसियों (State Agencies) के बीच संचार और समन्वय (Communication & Coordination) की कमी।

इसका परिणाम यह होता है कि प्रयासों में दोहराव (Duplication of Efforts) हो जाता है और संवेदनशील क्षेत्रों (Sensitive Areas) में प्रभावी कार्यान्वयन नहीं हो पाता। विभिन्न संगठनों के बीच बेहतर संचार आवश्यक है, लेकिन यह केवल आपदा के पूर्व (Pre-Hazard Period) ही संभव है।

इसके लिए विशिष्ट संपर्क व्यक्ति (Focal Persons) और समर्पित विभाग (Dedicated Departments) होने चाहिए, जो समन्वय का कार्य करें। आपदा न्यूनीकरण (Disaster Mitigation) या प्रतिक्रिया (Response) के लिए, संपर्क व्यक्ति सहयोगी संगठनों (Partner Organizations) और सरकारी अधिकारियों (Government Officials) के साथ संपर्क में रह सकते हैं, जिससे प्रभावी कदम उठाए जा सकें।

आपदा स्थिति में मीडिया की नैतिक और मानवीय भूमिका

हालाँकि निजी मीडिया समूहों (Private Media Groups) और चैनलों के व्यावसायिक हित (Commercial

Interests) होते हैं, लेकिन आपदा की स्थिति में मीडिया की भूमिका नैतिकता (Ethics) और मानवीय मूल्यों (Moral Dimensions) पर आधारित होनी चाहिए।

मीडिया को जानकारी प्रसारित (Information Dissemination) करने में अधिक जिम्मेदारी (Responsibility) दिखानी चाहिए। विश्वसनीय और सटीक जानकारी (Reliable & Accurate Information) से लोगों का विश्वास जीता जा सकता है।

मीडिया को न केवल सही समय पर सही जानकारी (Right Information at Right Time) प्रदान करनी चाहिए, बल्कि एकता और विश्वास का माहौल (Environment of Solidarity & Faith) भी बनाना चाहिए। इससे समाज के सभी वर्गों की सामूहिक जिम्मेदारी (Collective Responsibility) को बढ़ावा मिलेगा, जिससे किसी भी आपदा से निपटने की क्षमता मजबूत होगी।

आपातकालीन प्रबंधन में मीडिया की भूमिका का अवलोकन

आपातकालीन प्रबंधन (Emergency Management) के सभी स्तरों पर, मीडिया की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

टेलीविजन (Television), रेडियो (Radio) और प्रिंट मीडिया (Print Media) सूचना प्रसार (Information Dissemination) के माध्यम हैं और जनता की आवश्यकताओं को सामने लाने का जरिया भी। अधिकांश नागरिक इन्हीं माध्यमों से आपदाओं की जानकारी प्राप्त करते हैं।

संयुक्त राज्य अमेरिका (U.S.) में जितने समाचार संगठनों (News Organizations) की संख्या और उनकी सघनता (Concentration) है, उतनी किसी अन्य देश में नहीं है।

मीडिया की भूमिका सकारात्मक (Helpful), पूरक (Complementary), आलोचनात्मक (Critical) या उदासीन (Indifferent) हो सकती है, लेकिन यह निश्चित रूप से आपातकालीन प्रबंधन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण घटक है।

मीडिया की सकारात्मक भूमिका

कुछ परिस्थितियों में समाचार मीडिया आपदा प्रबंधन (Disaster Management) में एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवा (Public Service) प्रदान करते हैं, विशेष रूप से चेतावनी (Alerts), सतर्कता संदेश (Warnings) और सलाह (Advisories) प्रसारित करके। यह नीति निर्धारकों (Decision Makers) को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने में भी मदद कर सकते हैं।

मीडिया द्वारा प्रदान की जाने वाली संभावित सार्वजनिक सेवाएं

प्रभावित जनता को आवश्यक जानकारी और दिशानिर्देश (Supplies Information & Directions) प्रदान करता है।

भविष्य में इसी तरह की आपदाओं से बचाव के लिए तैयारी उपायों (Preparedness Measures) पर जानकारी प्रसारित करता है।

स्वयंसेवकों और दानदाताओं (Volunteers & Donations) को प्रेरित करता है, जिसमें रक्तदान (Blood Donations) भी शामिल है।

सरकारी प्रतिक्रिया (Government Response) में सुधार की आवश्यकताओं (Needs for Improvement) को उजागर करता है।

कभी-कभी अनुत्पादक जानकारी (Counterproductive Information) को रोककर स्थिति को बिगड़ने से बचाता है।

मीडिया की नकारात्मक भूमिका

समाचार मीडिया कभी-कभी नकारात्मक और प्रतिकूल (Counter-Productive) भूमिका भी निभा सकता है:

"मीडिया की प्रमुख भूमिका... आपदाओं और संकटों (Disasters & Crises) का राजनीतिकरण (Politicization) करने में योगदान देती है। मीडिया आपदा और संकट प्रबंधन की राजनीतिक प्रक्रिया को तेज कर देता है। वे निर्णय निर्माताओं और संकट प्रबंधकों पर दबाव डालते हैं कि वे यह स्पष्ट करें और न्यायोचित ठहराएं कि वे खतरे को टालने या संकट को समाप्त करने के लिए क्या कर रहे हैं।

इससे अधिकारियों के लिए संकट समाप्त होने तक सार्वजनिक रूप से प्रकट न होने की संभावना कठिन हो जाती है। इसके विपरीत, मीडिया राजनीतिक अधिकारियों से तीखे सवाल करने के लिए प्रतिस्पर्धा करेगा - जैसे कि संभावित कारण, आपातकालीन संचालन में कमियां, और कानूनी प्रक्रियाएं। यदि राजनीतिक अधिकारी जनता को सूचित करने में हिचकते हैं, तो मीडिया आपातकालीन कार्यकर्ताओं (Emergency Workers), व्हिस्टल ब्लोअर्स (Whistle Blowers - कथित सूचनादाता / मुखबिर) और विशेषज्ञों (Experts) से उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करेगा, जिससे उनकी राजनीतिक स्थिति कमजोर हो सकती है। इस प्रकार, आपदाएं और संकट अक्सर "फ्रेमिंग और दोषारोपण (Framing & Blaming)" की राजनीति में बदल जाते हैं।" मीडिया द्वारा फैलाए जाने वाले मिथक (Myths Perpetuated by Media):

लोग हमेशा घबराहट (Panic) में आ जाते हैं। आपदाएं पूरे समुदाय को अपंग (Incapacitate) बना देती हैं।

लूटपाट (Looting) और कानून व्यवस्था का उल्लंघन (Lawlessness) होने की संभावना बहुत अधिक होती है।

हर प्रकार की वस्तुएं और सेवाएं आवश्यक होती हैं, जिससे अनावश्यक और अवांछित दान (Unneeded & Unwelcome Donations) प्राप्त होने लगते हैं।

मुख्य रूप से यह अज्ञानी प्रेस का कार्य है; और मीडिया को बेहतर तरीके से सूचित करने की जिम्मेदारी किसकी है ?

स्पष्ट रूप से, सरकार के सभी स्तरों पर सार्वजनिक अधिकारियों की यह जिम्मेदारी बनती है।

मीडिया की नकारात्मक भूमिकाएं:

1. तनाव उत्पन्न करना (Cause Stress):

- समाचार एकत्र करने वाले (News Gatherers) अक्सर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (Emergency Responders) और निर्णय निर्माताओं (Decision Makers) से समय, संसाधन और मानव बल की मांग करते हैं, जो उस समय आपातकालीन स्थिति को संभालने के लिए आवश्यक होते हैं।

2. बाधा उत्पन्न करना (Get in the Way):

- कई बार मीडिया आपातकालीन प्रबंधन (Emergency Management) के कार्यों में बाधा डालता है, जिससे स्थिति और जटिल हो जाती है।

3. राजनीतिक हस्तक्षेप को बढ़ावा देना (Stimulate and Encourage Political Interference)-

मीडिया अक्सर विवादास्पद (Controversial) या उत्तेजक (Provocative) दृष्टिकोण खोजता है। इससे राजनीतिक विरोधियों को एक-दूसरे की आलोचना करने और सरकारी प्रयासों में बाधा डालने का अवसर मिलता है।

4. दोषी की तलाश करना (Look for Someone to Blame):

- "मीडिया की स्वतंत्रता (Freedom of the Press)" के कारण समाचार मीडिया सरकार के अनुरोध पर किसी जानकारी को रोकने या प्रकाशित करने के लिए बाध्य नहीं होता।

- पत्रकार अक्सर किसी बड़ी आपदा (Major Disaster) की पूरी वास्तविकता को कवर नहीं करते हैं।
- आपदा प्रबंधकों द्वारा देखी जाने वाली स्थिति अक्सर टेलीविजन पर दिखाई जाने वाली स्थिति से भिन्न होती है।

स्थानीय बनाम राष्ट्रीय मीडिया (Local vs. National Media)

- स्थानीय मीडिया (Local Media) का झुकाव - स्थानीय प्रभाव (Local Effects) पर ध्यान केंद्रित करता है। घटनाओं के विवरण (Details) पर अधिक ध्यान देता है। स्थानीय अधिकारियों (Local Authorities) के साथ बेहतर संबंध रखता है।
- राष्ट्रीय मीडिया (National Media) का झुकाव: संकट के दौरान और आपदा के तुरंत बाद रुचि बनाए रखता है।
- सामान्य जानकारी (General Information) देता है, लेकिन विवरण पर कम ध्यान देता है।
- स्थानीय मीडिया की तुलना में अधिकारियों से कठिन सवाल पूछता है।

व्यवसायों के लिए:

- कंपनियों के पास अपने सिस्टम पर बहुत सारा डेटा और जानकारी होती है। एक साइबर हमले से प्रतिस्पर्धी जानकारी (जैसे पेटेंट या मूल कार्य), कर्मचारियों/ ग्राहकों के निजी डेटा का नुकसान हो सकता है जिसके परिणामस्वरूप संगठन की अखंडता पर जनता का पूर्ण विश्वास खत्म हो सकता है।

वर्तमान सरकारी पहल:

- साइबर सुरक्षित भारत पहल।
- साइबर स्वच्छता केंद्र।
- ऑनलाइन साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल।
- भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C)।
- राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (NCIIPC)।
- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000।
- राष्ट्रीय साइबर नीति, 2013।

आगे की राह -

- भारत विश्व स्तर पर 17 सबसे अधिक डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं में दूसरा सबसे तेज डिजिटल एडाप्टर है, और तेजी से डिजिटलीकरण के लिए साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए दूरदर्शी उपायों की आवश्यकता है।
- यह महत्वपूर्ण है कि कॉर्पोरेट्स या संबंधित सरकारी विभाग अपने संगठनों में कमियों का पता लगाएं और उन कमियों को दूर करें और एक बहु-स्तरीय सुरक्षा प्रणाली बनाएं, जिसमें विभिन्न स्तरों के बीच सुरक्षा खतरे की खुफिया जानकारी साझा की जा रही हो।
- विभिन्न एजेंसियों और मंत्रालयों के बीच परिचालन समन्वय सुनिश्चित करने के लिए एक शीर्ष निकाय की आवश्यकता है।
- साइबर हमलावरों को हतोत्साहित करने के लिए रणनीतिक प्रतिरोध की तर्ज पर साइबर प्रतिरोध की परिकल्पना की जा सकती है। हमें साइबरस्पेस में प्रभावी प्रतिरोध के लिए आक्रामक क्षमताएं हासिल करने की जरूरत है।

अध्याय - 12

सोशल मीडिया और आंतरिक सुरक्षा खतरा

- कोई भी संचार चैनल जिसके माध्यम से किसी भी प्रकार की जानकारी, समाचार, मनोरंजन, शिक्षा, डेटा, प्रचार संदेश आदि का प्रसार किया जा सकता है, मीडिया कहलाता है।
- जनसंचार माध्यम संचार उपकरणों को संदर्भित करता है, जिनका उपयोग विभिन्न भाषाओं में बड़ी संख्या में दर्शकों के साथ संवाद और बातचीत करने के लिए किया जा सकता है।
- हाल के समय में सोशल मीडिया **Facebook** जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स या **Twitter** जैसे **माइक्रोब्लॉगिंग साइट्स** का पर्याय बन गया है। हालांकि, बहुत व्यापक रूप से सोशल मीडिया को किसी भी वेब या मोबाइल आधारित प्लेटफॉर्म के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो किसी व्यक्ति या एजेंसी को **इंटरैक्टिव रूप से संवाद** करने और उपयोगकर्ता द्वारा उत्पन्न सामग्री के आदान-प्रदान को सक्षम बनाता है।
- सोशल मीडिया का आगमन उस तरीके को बदल रहा है जिससे लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं और जिस तरीके से जानकारी साझा और वितरित की जाती है। यह पारंपरिक मीडिया जैसे प्रिंट, रेडियो और टेलीविजन से दो महत्वपूर्ण तरीकों से अलग है -
- उपयोगकर्ताओं द्वारा स्वयं उत्पन्न की जा सकने वाली सामग्री की मात्रा समाचार/विचार निर्माताओं द्वारा उत्पन्न सामग्री से कहीं अधिक है।
- इसकी "वायरल" क्षमता संभावित रूप से मुंह के शब्द और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इंटरलिंग्वेज द्वारा जानकारी के घातीय प्रसार के लिए, जिससे ऐसी किसी भी जानकारी के प्रसार पर नियंत्रण काफी कम हो जाता है।
- किसी भी राष्ट्र के लिए शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रों को कई आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और सोशल मीडिया उसके लिए मंच के रूप में कार्य करता है। सिस्को 2013 की वार्षिक सुरक्षा रिपोर्ट के अनुसार, ऑनलाइन सुरक्षा खतरों की सबसे अधिक सांद्रता सोशल मीडिया सहित जन दर्शकों वाली साइटों पर है।

सोशल मीडिया की विशेषताएं -

- **भागीदारी:** सोशल मीडिया उन सभी लोगों से योगदान और प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करता है जो इच्छुक हैं। यह मीडिया और दर्शकों के बीच की रेखा को धुंधला करता है।
- **खुलापन:** अधिकांश सोशल मीडिया सेवाएं प्रतिक्रिया और भागीदारी के लिए खुली हैं। वे मतदान, टिप्पणियों और सूचना साझा करने को प्रोत्साहित करते हैं। सामग्री तक पहुंचने और उसका उपयोग करने में शायद ही कोई बाधाएं

होती हैं, पासवर्ड-संरक्षित सामग्री को नापसंद किया जाता है।

- **बातचीत:** जबकि पारंपरिक मीडिया "प्रसारण" (सामग्री दर्शकों तक प्रेषित या वितरित) के बारे में है, सोशल मीडिया को दो-तरफा बातचीत के रूप में बेहतर ढंग से देखा जाता है।
- **समुदाय:** सोशल मीडिया समुदायों को जल्दी से बनने और प्रभावी ढंग से संवाद करने, सामान्य हितों को साझा करने की अनुमति देता है।
- **जुड़ाव:** अधिकांश प्रकार के सोशल मीडिया अपने जुड़ाव पर पनपते हैं, अन्य साइटों, संसाधनों और लोगों के लिंक का उपयोग करते हैं।

भारत में मीडिया की भूमिका -

भारत जैसे देश के लिए, इसकी लोकतंत्र की रीढ़ और इसके राष्ट्रीय हितों का प्रचारक सूचना और अभिव्यक्ति तक पहुंच बना हुआ है -

- सुरक्षा खतरों और चुनौतियों के बारे में लोगों को वस्तुनिष्ठ, और निष्पक्ष तरीके से सूचित और शिक्षित करना।
- स्व-नियमन की सीमाओं के साथ निष्पक्ष रिपोर्टिंग।
- स्वस्थ लोकतंत्र के सिद्धांतों को बढ़ावा देना।
- संवैधानिक प्रावधानों के लिए सम्मान।
- राष्ट्रीय स्तर पर लोगों और सरकारों के बीच एक पुल का निर्माण करना।
- निष्पक्षता, न्याय, राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बनाए रखना।
- किसी भी समाज में अधिकता को सूचित करना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, प्रचारित करना और सबसे महत्वपूर्ण रूप से सही करना।
- समाज में संकटग्रस्त स्थलों को उजागर करना और सरकार और जनता पर उन्हें खत्म करने के लिए उपयुक्त तंत्र तैयार करने के लिए दबाव डालना।
- सरकार की धारणाओं को आकार देना, जनमत को प्रभावित करना, लोकतंत्र, सुशासन को बढ़ावा देना और साथ ही लोगों के व्यवहार को प्रभावित करना और उन्मुख नीतियों का समर्थन करना।

मीडिया द्वारा पालन किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत:

- रिपोर्टिंग में निष्पक्षता और वस्तुनिष्ठता
- तटस्थता सुनिश्चित करना
- अपराध और हिंसा का महिमामंडन नहीं करना
- महिलाओं और बच्चों से संबंधित मामलों में विशेष सावधानी
- अश्लीलता से परहेज
- व्यक्तिगत गोपनीयता का सम्मान
- राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में नहीं डालना चाहिए
- सनसनीखेज बनाने से परहेज

मीडिया कहां गुमराह कर रहा है? - आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा -

- भारतीय मीडिया के पास भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों का व्यापक दृष्टिकोण नहीं है।
- भारतीय मीडिया राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों के अपने मनमौजी और असंवेदनशील व्यवहार पर ब्रेक लगाने या आत्म-संयम लागू के मूड में नहीं है।
- राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा करने वाले भारतीय टीवी एंकरों के पास राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा करने की राजनीतिक और रणनीतिक क्षमता नहीं है जैसे उनके पश्चिमी समकक्ष करते हैं।
- राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों पर भारतीय टीवी बहसें वाणिज्यिक ब्रेक लगाकर विपरीत विचारों और दृष्टिकोणों के विकास को काटने की प्रवृत्ति रखती हैं, या खुद ही उपदेशात्मक हो जाती हैं।

सोशल मीडिया के विभिन्न रूप:

Kaplan और Hoenlein (कपलान और होनलेन) ने 2010 में सोशल मीडिया को छह अलग-अलग प्रकारों में वर्गीकृत किया: सहयोगी परियोजनाएँ, ब्लॉग और माइक्रोब्लॉग, सामग्री समुदाय, सोशल नेटवर्किंग साइट, वर्चुअल गेम दुनिया और वर्चुअल सोशल दुनिया। कुछ सामान्य उदाहरण।

1. सोशल नेटवर्किंग:

ये सोशल मीडिया के सबसे प्रमुख प्लेटफॉर्म हैं। यह एक ऑनलाइन सेवा है जो अपने उपयोगकर्ताओं को वास्तविक जीवन में सामाजिक नेटवर्क के समान समान विचारधारा वाले लोगों के साथ वर्चुअल नेटवर्क बनाने में सक्षम बनाती हैं। यह अक्सर चैट, इंस्टेंट मैसेजिंग, फोटो शेयरिंग, अपडेट आदि जैसी सुविधाएं प्रदान करता है। 800 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ताओं वाला **Facebook** सबसे प्रसिद्ध सोशल नेटवर्किंग साइट्स में से एक है।

2. ब्लॉग:

ब्लॉग व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं द्वारा बनाई और रखी गई वर्णनात्मक सामग्री है और इसमें टेक्स्ट, फोटो और अन्य वेबसाइटों के लिंक शामिल हो सकते हैं। ब्लॉग की मुख्य इंटरैक्टिव विशेषता पाठकों की टिप्पणियां छोड़ने की क्षमता है और टिप्पणी ट्रेल का पालन किया जा सकता है।

3. माइक्रोब्लॉग:

माइक्रोब्लॉग ब्लॉग के समान होते हैं जिनमें 140 अक्षरों या उससे कम की एक विशिष्ट सीमा होती है, जो उपयोगकर्ताओं को सामग्री लिखने और साझा करने की अनुमति देती है। यह टेक्स्ट संदेश, इंस्टेंट संदेश या यहां तक कि ईमेल के रूप में भी किया जा सकता है। **Twitter** एक माइक्रोब्लॉगिंग साइट है जो अपने उपयोगकर्ताओं को 140-वर्ण लंबाई तक के टेक्स्ट-आधारित संदेश या "ट्वीट" भेजने और पढ़ने में सक्षम बनाती है। ये ट्वीट उपयोगकर्ता के खाते पर पोस्ट किए जाते हैं और साइट दूसरों को उपयोगकर्ता को "फॉलो" करने की अनुमति देती है।

4. Vlogs और वीडियो शेयरिंग साइट:

वीडियोब्लॉग या **Vlogs ब्लॉगिंग साइट** हैं जो मुख्य रूप से वीडियो को टेक्स्ट द्वारा समर्थित सामग्री के मुख्य रूप में उपयोग करते हैं। ऐसी साइटें विशेष रूप से उन लोगों को सक्षम बनाती हैं जिनके पास अंग्रेजी का सीमित ज्ञान हो, वे भी इंटरनेट पर अपने अनुभव साझा कर सकें। **Vlogs YouTube** पर सामग्री की एक महत्वपूर्ण श्रेणी है - सबसे बड़ी वीडियो शेयरिंग साइट। **YouTube** एक वीडियो लाइव कास्टिंग और वीडियो शेयरिंग साइट है जहाँ उपयोगकर्ता वीडियो देख सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं और साझा कर सकते हैं और यहां तक कि वीडियो के बारे में टिप्पणियां भी छोड़ सकते हैं।

5. विकी:

एक विकी एक सहयोगी वेबसाइट है जो कई उपयोगकर्ताओं को विशेष या आपस में जुड़े विषयों पर पेज बनाने और अपडेट करने की अनुमति देती है।

6. फोटो शेयरिंग:

Picasa और Flickr (पिकासा और फ्लिकर) - ये फोटो शेयरिंग साइट हैं।

राष्ट्रीय सुरक्षा और सोशल मीडिया:

सोशल मीडिया राष्ट्रीय सुरक्षा को संरक्षित करने और राज्य के रणनीतिक हितों तक पहुंचने का एक प्रभावी अवसर प्रस्तुत कर सकता है यदि इसका उपयोग नागरिक संस्थानों द्वारा और विशेष रूप से सुरक्षा सेवाओं और सूचना सुरक्षा सेवाओं द्वारा उचित रूप से किया जाए।

सोशल मीडिया का नकारात्मक प्रभाव:

- दंगे भड़काना
- गलत सूचना और दुष्प्रचार फैलाना
- आतंकवाद
- राष्ट्र विरोधी गतिविधियां
- झूठी राय बनाना
- सांप्रदायिक हिंसा भड़काना

सोशल मीडिया का सकारात्मक प्रभाव:

- सामाजिक जागरूकता
- सहभागी लोकतंत्र को मजबूत करना और गहरा करना
- संचार का सबसे सस्ता और तेज़ रूप
- सामाजिक सक्रियता का प्रसार
- सांस्कृतिक बहस को बढ़ावा देना
- आम जनता की रचनात्मकता में वृद्धि क्योंकि वे स्वतंत्र हैं

सोशल मीडिया सुरक्षा प्रणाली का भी समर्थन करता है:

- **बेहतर खुफिया क्षमताएं:** सोशल नेटवर्क रीयल-टाइम, प्रत्यक्ष जानकारी प्रदान करते हैं जिसका उपयोग बड़े डेटा विश्लेषण आदि जैसे उपकरणों का उपयोग करके "कार्रवाई योग्य खुफिया जानकारी" विकसित करने के लिए किया जा सकता है।
- **जांच में सहायता:** इसका उपयोग प्रभावी जुड़ाव और पुलिसिंग के लिए किया जा सकता है। इसमें तरीके शामिल

हैं - **Twitter** जैसे प्लेटफॉर्म का उपयोग जांच में सहायता के लिए और अपराधियों की जानकारी खोजने के लिए, क्राउडसोर्सिंग द्वारा जांच में सहायता करना; **Flickr** जैसी फोटो-शेयरिंग साइटों का उपयोग CCTV पर कैद दंगाइयों की तस्वीरें प्रकाशित करने के लिए आदि।

कानून और व्यवस्था बनाए रखना: लंदन दंगों 2011 के दौरान, दंगाइयों ने हमलों को व्यवस्थित करने, पुलिस के स्थानों आदि का पता लगाने के लिए स्मार्टफोन ऐप्स आदि का इस्तेमाल किया। हालांकि, पुलिस और जनता ने दंगाइयों को पकड़ने और अपने समुदायों को सुरक्षित करने के लिए उन्हीं सोशल मीडिया तकनीकों का इस्तेमाल करके पलटवार किया। **बोस्टन बमबारी, 2013** के मामले में, पुलिस ने सार्वजनिक नसों को शांत करने और सार्वजनिक सहायता का अनुरोध करने के लिए Twitter का सफलतापूर्वक लाभ उठाया।

- **चेतावनी और प्रवृत्ति पूर्वानुमान उपकरण:** भविष्य के रणनीतिक और सामरिक संदर्भों का पूर्वानुमान लगाने की क्षमता अत्यंत महत्वपूर्ण है ताकि खतरों से आश्चर्यचकित होने की संभावनाओं को कम किया जा सके और उनके प्रति लचीलापन बढ़ाया जा सके।
- **प्रभाव, प्रचार और धोखा उपकरण:** सोशल मीडिया का उपयोग न केवल संवाद करने, जानकारी साझा करने या कैप्चर करने, सामाजिक-राजनीतिक गतिकी का विश्लेषण करने और आर्थिक-वित्तीय रुझान का अनुमान लगाने की अनुमति देता है, बल्कि घटनाओं का वर्णन करने, वास्तविकता को मॉडल बनाने, किसी विशेष स्थिति, किसी विशिष्ट मुद्दे या व्यक्ति की धारणा को प्रभावित करने और विकल्पों और व्यवहारों को प्रभावित करने की भी अनुमति देता है।
- **संस्थागत संचार उपकरण**
- **सुरक्षा निहितार्थ / आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा:**
- सोशल मीडिया लोकतंत्रों के लिए एक चुनौती पेश करता है क्योंकि सोशल नेटवर्क और ब्लॉग जैसे चैनल जनता तक जानकारी फैलाने के लिए शक्तिशाली उपकरण प्रस्तुत करते हैं, जैसे कि मोल्दोवन **Twitter** दंगा, लंदन दंगे, ईरान चुनाव, **विकीलीक्स** खुलासे, या अरब स्वतंत्रता आंदोलन आदि।
- **आतंकवाद:** सोशल मीडिया आतंकवादी संगठनों को अपनी विचारधारा फैलाने में मदद करता है और वे सोशल मीडिया का उपयोग देश के युवाओं को बरगलाने के लिए एक उपकरण के रूप में करते हैं जो अंततः एक असामाजिक तत्व के रूप में समाप्त होता है। आतंकवादी देश की सामाजिक सद्भावना को बिगाड़ने के लिए भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं।
- **दंगे भड़काना:** सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नफरत भरे भाषण या अफवाहों को साझा करने से देश में पूर्ण विकसित दंगा होने की संभावना है।

अध्याय - 18

विभिन्न सुरक्षा बल और उनके जनादेश

- भारतीय सशस्त्र बल, जिसमें रक्षा बल, अर्धसैनिक बल और सामरिक बल कमान शामिल हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं।
- कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है, इसलिए अधिकांश पुलिसिंग भारत के संबंधित राज्यों और क्षेत्रों के साथ है। बड़े शहर संबंधित राज्य सरकारों के तहत **मेट्रोपॉलिटन पुलिस बल (MPF)** भी संचालित करते हैं। अधिकांश संघीय कानून प्रवर्तन एजेंसियां गृह मंत्रालय द्वारा नियंत्रित होती हैं।

भारत में सुरक्षा बलों को मोटे तौर पर दो भागों में बांटा जा सकता है:

1. भारतीय सशस्त्र बल
2. केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF)

अर्धसैनिक बलों का योगदान:

- **आपदा:** 2013 के उत्तराखंड बाढ़ के दौरान, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस आपदा का जवाब देने वाली पहली थी। केरल बाढ़ भी प्रमुख उदाहरण हैं।
- **संगठित अपराध:** सीमाओं पर तैनात **BSF, सशस्त्र सीमा बल, ITBP** जैसे अर्धसैनिक बल सीमा सुरक्षा के साथ-साथ ड्रग्स, नकली मुद्राओं और मानव तस्करी की जांच करते हैं।
- **कानून और व्यवस्था:** **CRPF** कर्मी अपनी सेवाएं तब प्रदान करते हैं जब कानून और व्यवस्था की स्थिति दंगों या बड़े पैमाने पर हिंसा के दौरान नियंत्रण से बाहर हो जाती है।
- **नक्सलवाद:** अर्धसैनिक बलों को नक्सलवाद जैसी उग्रवाद और हिंसक गतिविधियों से लड़ने में भी तैनात किया जाता है।

बाहरी खतरों से निपटने वाले सुरक्षा बल:

भारतीय सशस्त्र बल राष्ट्र की सुरक्षा के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार बल हैं, और वे रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आते हैं। CAPF मुख्य रूप से आंतरिक सुरक्षा खतरों का प्रबंधन करता है लेकिन वे बाहरी खतरों का मुकाबला करने में भी सहायता करते हैं। CAPF गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है।

भारतीय सशस्त्र बल:

रक्षा बलों को चार उप-श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

1. भारतीय थल सेना कर्मी
2. भारतीय वायु सेना
3. भारतीय नौसेना
4. भारतीय तटरक्षक बल।

आंतरिक खतरों से निपटने वाले सुरक्षा बल:

CAPF के कई प्रभाग हैं

1. असम राइफलस
2. सीमा सुरक्षा बल (BSF)
3. केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
4. केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल
5. भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP)
6. राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड
7. सशस्त्र सीमा बल (SSB)

1. असम राइफलस:

भूमिका और कार्य:

- सेना के नियंत्रण में, उत्तर-पूर्व और अन्य क्षेत्रों में, जहां आवश्यक समझा जाए, उग्रवाद विरोधी अभियान संचालित करना।
- शांति और 'छद्म युद्ध' के दौरान, भारत-चीन और भारत-म्यांमार सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना। युद्ध के दौरान, TBA में पिछले क्षेत्र की सुरक्षा।
- सेना के नियंत्रण में, आंतरिक सुरक्षा स्थितियों में केंद्र सरकार के अंतिम हस्तक्षेप बल के रूप में कार्य करना; जब स्थिति केंद्रीय अर्धसैनिक संचालन के नियंत्रण से बाहर हो जाती है।
- मुख्यालय - शिलांग

इतिहास -

- असम राइफलस 1835 में 'कछार लेवी' नामक एक मिलिशिया के रूप में अस्तित्व में आया। इस बल का गठन मुख्य रूप से ब्रिटिश चाय बागानों और उनकी बस्तियों को आदिवासी छापाओं से बचाने के लिए किया गया था।
- बाद में, इन सभी बलों को पुनर्गठित किया गया और 'फ्रंटियर फोर्स' के रूप में इनका नाम बदल दिया गया क्योंकि असम की सीमाओं के पार दंडात्मक अभियान चलाने की उनकी भूमिका बढ़ गई थी।
- इस बल ने प्रशासन और वाणिज्य के लिए क्षेत्र को खोलने में महत्वपूर्ण योगदान दिया और समय के साथ वे "नागरिकों का दाहिना हाथ और सेना का बायां हाथ" के रूप में जाने गए।
- प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत से ठीक पहले 'डरांग' बटालियन का गठन किया गया था।
- 1917 में, महान युद्ध (WW-I) के दौरान उनके काम को मान्यता देते हुए, नियमित ब्रिटिश सेना की राइफल रेजिमेंट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते हुए, बल का नाम बदलकर 'असम राइफलस' कर दिया गया।
- असम राइफलस की स्वतंत्रता के बाद की भूमिका विकसित होती रही, जिसमें 1962 के भारत-चीन युद्ध के दौरान पारंपरिक युद्धक भूमिका से लेकर 1987 में श्रीलंका में भारतीय शांति रक्षा बल (IPKF) के हिस्से के रूप में विदेशी

Dear Aspirants, here are the our results in differents exams

(Proof Video Link) 

RAS PRE. 2021 - <https://shorturl.at/qBJ18> (74 प्रश्न , 150 में से)

RAS Pre 2023 - <https://shorturl.at/tGHRT> (96 प्रश्न , 150 में से)

UP Police Constable 2024 - <http://surl.li/rbfyn> (98 प्रश्न , 150 में से)

Rajasthan CET Gradu. Level - <https://youtu.be/gPqDNlc6UR0>

Rajasthan CET 12th Level - <https://youtu.be/oCa-CoTFu4A>

RPSC EO / RO - <https://youtu.be/b9PKjl4nSxE>

VDO PRE. - <https://www.youtube.com/watch?v=gXdAk856Wl8&t=202s>

Patwari - <https://www.youtube.com/watch?v=X6mKGdtXyu4&t=2s>

PTI 3rd grade - https://www.youtube.com/watch?v=iA_MemKKgEk&t=5s

SSC GD - 2021 - <https://youtu.be/2gz2fJyt6vI>

EXAM (परीक्षा)	DATE	हमारे नोट्स में से आये हुए प्रश्नों की संख्या
MPPSC Prelims 2023	17 दिसम्बर	63 प्रश्न (100 में से)
RAS PRE. 2021	27 अक्तूबर	74 प्रश्न आये
RAS Mains 2021	October 2021	52% प्रश्न आये

whatsapp <https://wa.link/6bx90g> 1 web.- <https://shorturl.at/5gSVX>

RAS Pre. 2023	01 अक्टूबर 2023	96 प्रश्न (150 में से)
SSC GD 2021	16 नवम्बर	68 (100 में से)
SSC GD 2021	08 दिसम्बर	67 (100 में से)
RPSC EO/RO	14 मई (1st Shift)	95 (120 में से)
राजस्थान S.I. 2021	14 सितम्बर	119 (200 में से)
राजस्थान S.I. 2021	15 सितम्बर	126 (200 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	23 अक्टूबर (1st शिफ्ट)	79 (150 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	23 अक्टूबर (2 nd शिफ्ट)	103 (150 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	24 अक्टूबर (2 nd शिफ्ट)	91 (150 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	27 दिसम्बर (1 st शिफ्ट)	59 (100 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	27 दिसम्बर (2 nd शिफ्ट)	61 (100 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	28 दिसम्बर (2 nd शिफ्ट)	57 (100 में से)
U.P. SI 2021	14 नवम्बर 2021 1 st शिफ्ट	91 (160 में से)
U.P. SI 2021	21 नवम्बर 2021 (1 st शिफ्ट)	89 (160 में से)
Raj. CET Graduation level	07 January 2023 (1 st शिफ्ट)	96 (150 में से)
Raj. CET 12th level	04 February 2023 (1 st शिफ्ट)	98 (150 में से)
UP Police Constable	17 February 2024 (1 st शिफ्ट)	98 (150 में से)

& Many More Exams like UPSC, SSC, Bank Etc.

whatsapp <https://wa.link/6bx90g> 2 web.- <https://shorturl.at/5gSVX>